



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13012022-232612
CG-DL-E-13012022-232612

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 166]
No. 166]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 12, 2022/पौष 22, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 12, 2022/PAUSHA 22, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2022

का.आ.170(अ).—जबकि केन्द्र सरकार ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4622(ई) दिनांक: 9.11.2021 द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-12 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-52) के दराह से झालावाड़ से तीनधार सेक्शन के 299.000 कि.मी. से 346.540 कि.मी. तक के खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को (जिसे इसमें इसके पश्चात् “प्राधिकरण” कहा जाए) सौंपा है;

अतः अब केन्द्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसके पश्चात् “नियम” कहा जाए) के नियम-3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान राज्य में नया राष्ट्रीय राजमार्ग-52 (राष्ट्रीय राजमार्ग 12) के दराह-झालावाड़-तीनधार सेक्शन के डिजाइन कि.मी. 9.860 से 58.740 कि.मी (मौजूदा 299.000 कि.मी. से 346.540 कि.मी) के लिए सड़क खंड की निवल लंबाई 11.369 कि.मी. और 15.670 कि.मी (जिनकी लंबाई 1.567 कि.मी है) लंबाई की समकक्ष संरचना (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) के लिए सारणी 1 के स्तम्भ (2) में दिए यांत्रिक वाहनो पर विनिर्दिष्ट दर से तथा बाईपास जिनकी निवल लंबाई 35.944 कि.मी. और लागत 10 करोड़ रु या अधिक है, के लिए आधार दर के डेढ़ गुणा की दर से सारणी (1) के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट वाहनो पर शुल्क की वसूली करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:

सारणी-1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई.) अथवा बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्धृत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु शोध्य और संदेय होगा अर्थात्:

सारणी-2		
शुल्क प्लाजा का स्थान (चैनज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क भुगतान योग्य है	दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है
राजस्थान राज्य के कोटा जिले के वीर मंडी गांव में 27.700 डिजाइन कि.मी. पर	11.369 (बाईपास की लंबाई (लागत 10 करोड़ से अधिक) तथा बुनियादी ढांचे की लंबाई (60 मी. से अधिक) को छोड़कर)	चार अथवा अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी 1-में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपरोक्त के अलावा, 10 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले बाईपास के उपयोग हेतु ऐसे शुल्क प्लाजा(ओं) के लिए उल्लिखित बाईपास की निवल लंबाई के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर निम्नलिखित शुल्क देय तथा भुगतान योग्य होगा-

सारणी-3						
शुल्क प्लाजा का स्थान (चैनज)	बाईपास का नाम	शुरुआती स्थान	विलय स्थान	बाईपास की लम्बाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क देय है [बुनियादी ढांचे की लंबाई (60 मी. से अधिक) को छोड़ कर]		दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है
				लंबाई (कि.मी. में)	लागत (करोड़ रुपए में)	
राजस्थान राज्य के कोटा जिले के वीर मंडी गांव में 27.700 डिजाइन कि.मी.पर	दादाबेह तथा सहारावड़ा बाईपास	कि.मी. 12.115	कि.मी. 19.788	7.673	140.19	ऊपर सारणी 1-में उल्लिखित चार अथवा अधिक लेन के लिए आधार दरों का 150%
	सुकेत, झालवाड़ तथा झालार पाटन बाईपास	कि.मी. 25.210	कि.मी. 54.565	28.271	492.92	

3 उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बुनियादी ढांचाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी बुनियादी ढांचाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तन करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजाओं पर निम्नलिखित शुल्क भी देय और भुगतान योग्य होगा:

सारणी-4			
शुल्क प्लाजा का स्थान (चैनेज)	सड़क की लम्बाई के समान परिवर्तित बुनियादी ढांचा की लम्बाई [^] (कि.मी. में)	समकक्ष सड़क लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है
राजस्थान राज्य के कोटा जिले के वीर मंडी गांव में 27.700 डिजाइन कि.मी. पर	1.567	15.670	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित चार अथवा अधिक लेन के लिए आधार दरों का 100 %

[^]विवरण निम्नानुसार है;

	चैनेज		बुनियादी ढांचा का प्रकार	लम्बाई (कि.मी. में)
	कि.मी से	कि.मी तक		
1	35.942	36.267	बड़ा पुल	0.325
2	44.107	44.194	आरओबी	0.087
3	46.900	47.000	फ्लाईओवर	0.100
4	47.650	48.150	बड़ा पुल सहित ऊंचा ढांचा	0.500
5	50.059	50.131	फ्लाईओवर	0.072
6	56.894	57.305	बड़ा पुल	0.411
7	58.089	58.161	फ्लाईओवर	0.072
कुल				1.567

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता/रहती हो, उसके लिए वर्ष 2021-22 के लिए मासिक पास की दर 285.00/- रूपए (दो सौ पचासी रूपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किए जाएंगे, अर्थात्:

सारणी-5		
संदेय राशि	अनुमत्य एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान योग्य शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक माह

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा स्थित है, उसमें पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस सड़क अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।
7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली के नियम 10 के उप नियम 1ए में उल्लिखित शुल्क के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।
8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस सड़क, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।
9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरें प्रदर्शित की जाएंगी।
10. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंड की पूर्ण हुई लम्बाई के आधार पर की जाएगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा इसे तदनुसार अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत **1439.23 करोड़ रुपए** है। [पूंजी लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने शेष हैं। अंतिम पूंजीगत लागत को अलग से अधिसूचित किया जाएगा]। प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात्, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इस में वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. 41029/1/2021-कोटा/डीटीजेपैकेज-2/टीपी-बीरमंडी/ईएसटी]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th January, 2022

S.O. 170 (E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways S.O. 4622(E) dated 9.11.2021, the Central Government has entrusted the stretch from km 299.000 to kilometer 346.540 of Darah to Jhalawar to Teendhar Section of National Highway 12 (New National Highway 52) in the state of Rajasthan to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the “rules”), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 11.369 km and equivalent structure length (having length more than 60m) of 15.670 km (having length of 1.567 km) and at one and half times the base rate for bypasses having the length of 35.944 Km costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below of Darah- Jhalawar- Teendhar section from design km 9.860 to kilometer 58.740 (existing Km. 299.000 to km 346.540) of New National Highway 52 (National Highway 12) in the state of Rajasthan and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table-1	
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05

Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza namely: -

Table-2		
Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At design km 27.700 at Beer Mandi Village of Kota District in Rajasthan State	11.369 [Excluding length of Bypass (Costing >10 Cr.) and length of structures (>60m)]	100% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza: -

Table-3						
Location of Fee Plaza (chainage)	Name of the Bypass	Taking Off	Merging at	Length and Cost of bypass for which additional fee is payable [Excluding length of structures (>60m)]		Rate at which fee is payable
				Length (in Km.)	Cost (in Rs. Crore)	
At design km 27.700 at Beer Mandi Village of Kota District in Rajasthan State	Dadabeh and Sahrawada Bypass	Km 12.115	Km 19.788	7.673	140.19	150% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above
	Suket, Jhalawar and Jhalapatan Bypass	Km 25.210	Km 54.565	28.271	492.92	

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

Table-4			
Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures^ (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At design km 27.700 at Beer Mandi Village of Kota District in Rajasthan State	1.567	15.670	100% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above

^The detail is as under:

	Chainage		Type of Structure	Length (in km)
	From Km	To Km		
1	35.942	36.267	Major Bridge	0.325
2	44.107	44.194	ROB	0.087

3	46.900	47.000	Flyover	0.100
4	47.650	48.150	Elevated Structure including Major Bridge	0.500
5	50.059	50.131	Flyover	0.072
6	56.894	57.305	Major Bridge	0.411
7	58.089	58.161	Flyover	0.072
Total				1.567

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs 285.000 (Two Hundred and Seventy-Five Only) for the year 2021-22 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table-5		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and one-half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 1439.23 crore. [The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately]. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No 41029/1/2021-Kota/DTJPKg-II/TP-BeerMandi/EST]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.